

15/5/2026

-प्रकरण प्रस्तुत।

-प्रकरण का अवलोकन किया।

-आवेदक महेश कुमार पिता छतराम, निवासी- एनडी-44 छ.ग.वि.मं.कोरबा (पूर्व) एवं किर्ति पटेल पिता कमल पटेल, तहसील व जिला -कोरबा, छ.ग. के द्वारा छ.ग.रा.उत्पादन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास के निवासी पर विशाल पर विशालकाय साल का वृक्ष जो पूरी तरह से सूख गई है जिसकी सूखी सूखी शाखाये टुट नीचे गिर रही है ओर साथ ही उसी वृक्ष के नीचे से विद्युत सप्लाय लाईन भी गुजरी है जिसे काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर कोरबा के जनदर्शन में टोकन क्रमांक 2020126001375 दिनांक 20/04/2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

-कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग. के पत्र क्रमांक/के.बी./1005 कोरबा, दिनांक 14/05/2026 के अनुसार संयुक्त जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि छ.ग.रा.उत्पादन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास के पास 01 नग साल प्रजाति का वृक्ष प्राकृतिक रूप से पूर्णतः सूख चुका है। जिसकी उंगालिया स्वमेव ही टूट-टूट कर गिर रही है। जो कभी भी आंधी तूफान से पूर्णतः गिर सकती है। जिससे जन-धन की हानि होने की सम्भावना नबी हुई है। जिसमें से कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप-घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

-छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

-छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:-

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ङ) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर- नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

- आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ लागू नहीं होना पाया गया।

वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कंडिका 3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी

(श) निम्नांकित वृक्ष परिस्थितियों में वृक्ष कटाई की अनुशंसा कर सकेगा -

(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।

(दो) वृक्ष सूख गए हो, अथवा सूख रहे हो।

(तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।

(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हो।

(ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमण्डल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी)।

(छ) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

- उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2

(सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी

भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार

एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम

कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है। -

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़

परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति

शून्य होगी।

- छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के अधिन वृक्ष कटाई नियम 2022 के 3 (तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(छ) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

- अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम- कोरबा, आवेदक महेश कुमार वगै. निवासी- छ.ग.रा.उत्पादरन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास पर स्थित कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

-आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

-उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

-संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(ता)
अनुविभागीय अधिकारी(ता)
कोरबा, कोरबा, कोरबा (उ.ग.)

523
515126

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

महेश कुमार पिता छतराम,
निवासी-कोरबा, प.ह.नं.-18
तहसील व जिला.-कोरबा,

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत।

---00---

आवेदक महेश कुमार पिता छतराम, निवासी- एनडी-44 छ.ग.वि.मं.कोरबा (पूर्व) एवं किर्ति पटेल पिता कमल पटेल, तहसील व जिला -कोरबा, छ.ग. के द्वारा छ.ग.रा.उत्पादन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास के निवासी पर विशाल पर विशालकाय साल का वृक्ष जो पूरी तरह से सूख गई है जिसकी सूखी सूखी शाखाये टुट नीचे गिर रही है ओर साथ ही उसी वृक्ष के नीचे से विद्युत सप्लाय लाईन भी गुजरी है जिसे काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर कोरबा के जनदर्शन में टोकन क्रमांक 2020126001375 दिनांक 20/04/2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग. के पत्र क्रमांक/के.बी./1005 कोरबा, दिनांक 14/05/2026 के अनुसार संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि छ.ग.रा.उत्पादन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास के पास 01 नग साल प्रजाति का वृक्ष प्राकृतिक रूप से पूर्णतः सूख, चुका है। जिसकी उंगालिया स्वमेव ही टूट-टूट कर गिर रही है। जो कभी भी आंधी तूफान से पूर्णतः गिर सकती है। जिससे जन-धन की हानि होने की सम्भावना नबी हुई है। जिसमें से कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप-घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

//2//

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

// 2 //

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम- कोरबा, आवेदक महेश कुमार वगै. निवासी- छ.ग.रा.उत्पादरन कंपनी के आवास क्रमांक एनडी-44 एवं एनडी-43 के आवास पर स्थित कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल- 01 नग सूखे साल वृक्ष को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)

कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 15/05/2026

पृ.क. 1524 / अ.वि.अ. / वाचक / 2026

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी(रा.)

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)

कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)